न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— नलिनी कठोतिया, आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 170/2025 (GCMS No. 2025/174) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. परसराम मीना पुत्र श्री घूरा मीना आयु 70 वर्ष जाति मीना निवासी सलैमपुर खुर्द तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

...........अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर (राज)

...........रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर प्रकरण संख्या 02/19 उनवानी परसराम बनाम स्टेट अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट।

उपस्थितिः—

1. अपीलांट की ओर से श्री रमनलाल मित्तल, वकील।

नि र्ण य दिनांक : 11.03.2026

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भुसावर के आदेश दिनांक 10.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया कि ग्राम इटामडा में आराजी खसरा नम्बर 1365 रकवा 2.08 हैक्टै. में स्थित है जिसकी मौके पर स्थिति वर्तमान नक्शे में बताई गई है वह गलत है। उक्त आराजी का पुराना नम्बर 1713/1053 है जो सही है। मौके पर पुराने नक्शे एवं खसरा नम्बर के बिल्कुल विपरीत है। सैटिलमैंन्ट के समय राजस्व अधिकारियों की भूल के कारण तरमीम करने में मौके के विपरीतकी गई है जिसको सही किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारिज

संभागीय आयुक्त भरतपुर

किया था जिसकी जानकारी होने के बाद अपीलांट ने नकल प्राप्त कर तथा कानूनी सलाहकार से सलाह कर अपील तैयार कराकर बिना किसी देरी के अपील पेश की गई है। अपील में जानबूझकर गलती नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील में हुई देरी को कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलाधीन आदेश बिना कानून का विवेचन किये हुये एवं तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है। ग्राम इटामडा तहसील भुसावर में आराजी खसरा नम्बर 1365 रकवा 2.09 हैक्टे. में स्थित है। उक्त आराजी का पुरान ख.नं. 1713/1053 है। खसरा नम्बर 1365 की वर्तमान नक्शे में जो स्थिति दिखाई गई है वह मौके के अनुसार नहीं है। उसकी दुरूस्ती होना कानूनन एवं न्यायहित में आवश्यक है। ग्राम इटामडा का सैटलमेंट नवीन भू प्रबंध सन् 2010 से 2020 के बीच हुआ है एवं भू प्रबंध कर्मचारियों के द्वारा मौके का कोई अवलोकन नहीं किया गया और पुराना रिकार्ड नक्शा जीर्ण शीर्ण होने के कारण भू प्रबंध टीम ने अपनी मनमर्जी से नक्शा तैयार कर लिया है। काश्तकारों से कोई जानकारी नही ली गई तथा न ही उनको कोई जानकारी दी गई। मौके का कोई सर्वे नहीं किया गया। खसरा नम्बर 1357 छोंकरवाडा भुसावर सडक पर है। गत खसरा नम्बर 1053 लगभग 37 बीघा था जिसका 6 किता में विभाजन हिस्सा दर पूर्व में ही हो गया था। खसरा विभाजन होने के पश्चात भी नक्शा में विभाजन नहीं हुआ परन्तु उक्त खसरा नम्बर 1053 के समस्त काश्तकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलांट के पिता घूरा पुत्र हरफूल जाति मीना जरिये विक्रय पत्र खसरा नम्बर 1053 में से 13 बीघा 12 विस्वा जमीन क्रय कर खातेदार दर्ज हुआ था उसका 1713/1053 अलग खसरा अंकित कर दिया गया है। अपीलांट के पिता द्वारा क्रय किया गया भूखण्ड में से भुसावर छोंकरवाडा रोड के लिए 14 विस्वा भूमि ली गई जिससे अपीलांट का रकवा 12 बीघा 18 विस्वा शेष हो गया है। रोड में ली गई जमीन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में मकबूजा महकमा इंजीनियर के मिन 14 विस्वा रोड में दर्ज कर दी गई। अपीलांट के खेत से रोड निकलने के पश्चात अपीलांट छोंकरवाडा भुसावर रोड से सटैंवा 12 बीघा 18 विस्वा पर आज दिन तक काबिज काश्तकार है। अपीलांट के खेत में सडक किनारे एक बीघा भूमि पर उस समय आम का बाग लगाया गया था जिसका इन्द्राज तत्कालीन गिरदावरी में आम का बाग अंकित किया गया तथा आम के पेड आज भी मौके पर स्थित हैं। खसरा नम्बर 1360, 1361, 1362, 1363, 1364 व 1365 कुल 6 किता विभाजित कर दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी भुसावर द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार भुसावर को दिनांक 04.02.2024, 29.11.2022, 11.03.2023 एवं 20.05.2024 द्वारा लिखा गया परन्तु तहसीलदार ने मौक़े पर काबिज अलग अलग खातेदारान के कब्जा का नक्शा बनाकर नहीं भेजा। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के समक्ष सही मौका रिपोर्ट प्रेषित नहीं की। तहसीलदार भुसावर मौका रिपोर्ट सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर को नहीं भेज रहे हैं। हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते वक्त हम सभी खाताधारक पुराना 1053 नया 1360, 1361, 1362, 1363, 1364 व 1365 मुताबिक मौका नक्शा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

नक्शे पर हम सभी काश्तकारों द्वारा हस्ताक्षकर करके पटवार हल्का इटामडा को मौके पर दिये हैं। गत खसरा नम्बर 1053 के नवीन खसरा नम्बरान 1360, 1361, 1362, 1363, 1364 व 1365 मौका व कब्जा सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में नक्शा में व जमाबंदी, खसरा गिरदावरी में इन्द्राज हो गया है जिसकी दुरूस्ती होना आवश्यक हे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार भुसावर की रिपोर्ट के अभाव में प्रकरण खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकरअधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.06.2025 निरस्त करने व अपीलांट का मौका व कब्जे के अनुसार ही खसरा नम्बर 1365 रकवा 2.09 हैक्टे. ईटामडा के नक्शा में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश फरमाये जावें।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। इस संबध में यह ध्यान देने योग्य है कि आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large, would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants" तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट परसराम के द्वारा प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट उपखण्डाधिकारी के समक्ष वास्ते दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि ग्राम इटामडा तहसील भुसावर के आराजी खसरा नम्बर 1365 रकवा 2.09 हैक्टे. में स्थित है जिसकी स्थिति मौके पर वर्तमान नक्शे में बताई गई है वह गलत है। उक्त आराजी का पुराना नम्बर 1713 / 1053 है जो सही है। मौके पर पुराने नक्शे एवं खसरा नम्बर के बिल्कुल विपरीत है। सैटलमेंट के समय भूल के कारण तरमीम मौके के विपरीत की गई है। जिसको मौके के अनुसार दुरूस्त किया जावे। उपखण्ड अधिकारी भुसावर द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र यह कहते हुये खारिज कर दिया कि ख.नं. 1365 रकवा 2.09 हैक्टे. वाके नगल सिरसियान मुताबिक राजस्व रिकार्ड परसराम पुत्र घूरा जाति मीना सा. सलैमपुर खुर्द खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा वर्तमान में मौके पर खाली है। वर्तमान खसरा नम्बर 1365 का साविक ख.नं. 1713 / 1053 है। ग्राम सिरसियान का पुराना नक्शा पूर्णतः जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिसको देखकर किसी प्रकार की रिपोर्ट दिया जाना संभव नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा वक्त

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

बहस पटवारी हल्का की रिपोर्ट की अप्रमाणित प्रति फार्म संख्या 3 के साथ पेश की गई जिसमें हाल नवीन नक्शा शीट एवं मौका कब्जा परस्पर विरोधाभाषी हैं। उपखण्ड अधिकारी द्वारा केवल नक्शा जीर्ण–शीर्ण होने के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जो सही नहीं है। चूँकि उपखण्ड अधिकारी को भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से एलआरएक्ट की धारा 369 के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा,, नक्शों एवं राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व रहता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी भुसावर को रिमाण्ड किया जाना उचित पाते हैं

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि गत नक्शा तलाश करवाया जावे तथा रिकार्डानुसार पुनः नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नलिनी कठोतिया)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर